न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/18	18–05–2020	18–11–2020

01. रामानन्द पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति अहीर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नायसराना 1/2 भाग ग्राम पंचायत डूमरोली तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 28–02–2020 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या– 1572/2012 प्रकरण संख्या 182/2019

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 28–02–2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1572/2012 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र संख्या 1572/2012 को पूर्व में एकपक्षीय रूप में पारित आदेश दिनांक 25.1.2018 को निलंबित किया गया था जिस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 12/81/18 बउनवान रामानन्द बनाम जिला रसद अधिकारी प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2018 को स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की गई कि प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए न्याय निर्णय करने वावत दिये आदेश दिनांक 24.10.2018 के विरूद्व आलौच्च आदेश एक पक्षीय में पारित किया गया है। तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 24.10.2018 के पश्चात् अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच ई.ओ. नीमराना करवाई गई जो जांच दिनांक 26.11.2018 की है, जिस जांच में अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, आदेश दिनांक 26.11.18 पूर्व की भांति एकपक्षीय में सादिर फरमाया गया था–जिससे

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.12.18 को न्यायालय में अपील संख्या 12/2/18 पेश की गई थी। जिस अपील को न्यायालय द्वारा दिनांक 16.7.19 निर्णय पारित करते हुए अपील मंजूर की गई। दिनांक 16.7.19 को पारित निर्णय के अनुसरण में अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी के यहां उनके नोटिस दिनांक 4.10.19 को जवाब नोटिस दिनांक 6.12.19 को पेश किया गया। प्रकरण निस्तारण यथासंभव एक माह में गुणावगुण के आधार पर किया जाना था किन्तु प्रकरण का करीब 07 माह में अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण दुर्भावना से ग्रसित होकर किया गया है। अपीलान्ट ने 07 माह तक राशन सामग्री का विरण किया गया और इस अवधि में उपभोक्ताओं की कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट को जो आरोप पत्र दिया गया था उसमें 05 आरोप दर्ज थे, लेकिन आलौच्य निर्णय में 06 आरोपों का वर्णन किया गया है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28–02–2020 को जानकारी हुई और कोराना वायरस की माहमारी के कारण आवागमन के रास्ते बंद होने के कारण अपीलान्ट पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर समयावधि में अपील पेश नही कर सका। अतः दिनांक 28.2.20 से आज तक का लॉक डाउन का समय म्याद में गुजरा दिया जाकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निलम्बित फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 17 (सी) का उल्लधंन किया गया है, साथ ही धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐं अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकानदार नायसराना ग्राम पंचायत डूमरोली 1/2 भाग तहसील नीमराना का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। अपीलान्ट का यह कृत्य राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 का स्पस्ट उल्लधंन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की शिकायत नहीं रही है। अपीलान्टन राशन सामग्री का वितरण कार्य ग्राम पंचायत डुमरोली के सरपंच की निगरानी में करता है एवं ग्राम पंचायत के सरपंच व किसी भी सदस्य की अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं है। जिससे स्पस्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं होने एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपने पक्ष में कोई साक्षय/सबूत पेश नहीं गये है, और ना ही कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रकट किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त में ऐसा नही है, कि अपीलान्ट राशन सामग्री वितरण कार्य व्यवस्था में बरती गई अनियमितताऐं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेशों का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है के बाबत अनियमितता करने में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.02.20 यथावत रखां जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11–08–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर (सि.को.), अलवर